अनवान रामस्वरूप बनाम प्रमोद सिंह
प्रकरण रु. 33/2024

22.6.2025

प्रार्थी रामस्वरूप पुत्र गोपाल राम जाति विश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए पेश कर चक 5 डीएनजी प.न. 188/137 मु.न. 40 के किला नं. 20 व 21 में उत्तर–दक्षिण लम्बा पत्थर लाईन से चिपता दो दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने बावत निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 154 दिनांक 18.09.2024 द्वारा भू–अभिलेख ढाबा की रिपोर्ट संलग्न कर भिजवाई है कि प्रार्थी उक्त प्रस्थावित रास्ते से आना/जाना करता है अप्रार्थीगण उक्त रास्ता देने पर सहमत नही होना एवं खाता विवादित है भूमि का लेन देन नही होना बतलाते हुए रिपोर्ट भिजवाई तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य गलत एवं मिथ्या वर्णित किये गये है जो अस्वीकार है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होना है। विधि अनुसार जब तक खाता विभाजन नही हो जाता तब तक प्रत्येक सहकातश्तकार का प्रत्येक ईंच पर कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने का कथन करते हुए अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। साथ ही 151 सीपीसी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसीलदार राजस्व संगरिया से पुनः रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया प्रकरण अत्यधिक समय से अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु लम्बित चल रहा है जबकि प्रार्थी के नाम संयुक्त खाते में खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी ने संयुक्त खाते की कृषि भूमि काश्त के लिऐ रास्ता की मांग की गई है जो संयुक्त खाते में दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner